

**न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरौही
(पीठासीन अधिकारी: डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)**

आवेदक

श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा)
एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

श्री रुप सिंह पुत्र श्री विशन सिंह राजपूत, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, मैसर्स मां
अम्बे ट्रेडर्स, मेन मार्केट, सुमेरपुर, जिला- पाली
हाल-RJ 57 GA 0345 (पिकअप), पुलिस थाना, शिवगंज, जिला- सिरौही,
स्थाई पता: ग्राम पोस्ट- जाखोडा, कोलीवाडा, जिला- पाली- 306902

F.S.S.Act Case No. 75/2025

**"अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 51 व 58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम, 2006"**

उपस्थिति: प्रतिवादी रुप सिंह

-: निर्णय :-

दिनांक 16 दिसम्बर, 2025

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। आवेदक श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत द्वारा दिनांक 15-4-2025 को मैसर्स मां अम्बे ट्रेडर्स, मेन मार्केट, सुमेरपुर, जिला- पाली, हाल- RJ 57 GA 0345 (पिकअप), पुलिस थाना, शिवगंज, जिला- सिरौही में प्रतिवादी विक्रेता श्री रुप सिंह पुत्र श्री विशन सिंह से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड अमूल) का नमूना संख्या S-2611 निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसुर के विश्लेषण जांच प्रमाण पत्र संख्या: 822F/FSSA/2025 दिनांक 07-8-2025 में अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ व बिना खाद्य अनुज्ञा/रजिस्ट्रेशन के खाद्य व्यापार करना पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 व 58 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी अभियुक्त पर शास्ति (Penalty) अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है।

(2) प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 09-12-2025 को प्रतिवादी रुप सिंह पुत्र श्री विशन सिंह ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया, जिस पर प्रतिवादी को सुना गया। नियत सुनवाई तिथि 09-12-2025 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नहीं हुये। अतः प्रकरण का पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के विधि अनुरूप निरतारण किया जा रहा है।

(3) पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 15-4-2025 को थानाधिकारी, पुलिस थाना, शिवगंज, जिला- सिरौही से प्राप्त सूचना पर समय 03-05 पी.एम. पर पुलिस थाना परिसर, शिवगंज पर गये। वहां श्री रुप सिंह पुत्र श्री विशन सिंह, मौके पर उपस्थित मिले। प्रतिवादी रुप सिंह पुत्र विशन सिंह व गवाह की उपस्थिति में वाहन नम्बर RJ 57 GA 0345 (पिकअप) में खाद्य पदार्थ घी की विभिन्न ब्राण्ड विक्रय हेतु रखी हुई पाई व प्रतिवादी रुप सिंह पुत्र विशन सिंह ने स्वयं को मैसर्स मां अम्बे ट्रेडर्स, मेन मार्केट, सुमेरपुर, जिला- पाली का खाद्य कारोबारकर्ता होना बताया। प्रतिवादी रुप सिंह ने उसके पास खाद्य पदार्थ का अनुज्ञा

.....पेज दो पर



**प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरौही-307001.**

पत्र/पंजीकरण पत्र नहीं होना जाहिर किया। आवेदक श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने गवाह की उपस्थिति में उक्त वाहन नम्बर RJ 57 GA 0345 (पिकअप) का निरीक्षण करने पर उक्त वाहन में खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड अमूल) के 15 kg x 40 टीन आम जन के विक्रय हेतु रखे हुये पाये, जिनमें मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की सूचना प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी रुप सिंह पुत्र श्री विशन सिंह को गवाह के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने प्रतिवादी खाद्य कारोबारकर्ता/विक्रेता रुप सिंह पुत्र विशन सिंह व गवाह की उपस्थिति में खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड अमूल) के एक 15 किलोग्राम के टीन को खुलवाकर उसमें से 800 ग्राम घी (ब्राण्ड अमूल) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु एक साफ, सूखे व खाली बर्तन में खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 480/- (रुपये चार सौ अस्सी मात्र) प्रतिवादी विक्रेता रुप सिंह पुत्र श्री विशन सिंह को नकद अदा कर क्रय किया एवं खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 800 ग्राम घी (ब्राण्ड अमूल) को प्रतिवादी विक्रेता व गवाह के समक्ष चार साफ, सूखी व खाली शीशीयों में बराबर बराबर मात्रा (200-200 ग्राम) में भरा एवं चारों नमूना शीशीयों को ढक्कन लगाकर एयरटाइट बन्द किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2611, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड अमूल) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी रुप सिंह पुत्र श्री विशन सिंह व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड अमूल) के चारों शीशीयों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और खरीदशुदा घी (ब्राण्ड अमूल) के चारों नमूना शीशीयों को अलग-अलग कागज में लपेट कर, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता रुप सिंह पुत्र विशन सिंह तथा गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता रुप सिंह पुत्र श्री विशन सिंह व गवाह तथा श्री मुकेश प्रजापत, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पहुँचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील करके समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक-एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपड़ी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो-दो प्रतियां, दो लिफाफो में अलग-अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपड़ी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने दिनांक 17-4-2025 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा, श्री बाबुलाल मीणा, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी को दिनांक 15-4-2025 को ही जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत द्वारा प्रतिवादी रुप सिंह पुत्र श्री विशन सिंह, खाद्य कारोबारकर्ता व विक्रेता, मैसर्स मां अम्बे ट्रेडर्स, मेन मार्केट, सुमेरपुर, हाल-RJ 57 GA 0345 (पिकअप), पुलिस थाना, शिवगंज, जिला- सिरोही से खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड

Lehr पेज तीन पर

पति. जिमा पचिन्के

सिरोही-307001



अमूल) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड अमूल) के नमूना संख्या S-2611 की प्राप्त विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./329/Act/2025/436 दिनांक 06-5-2025 में खाद्य पदार्थ घी (अमूल) का नमूना संख्या S-2611, असुरक्षित खाद्य (Unsafe food) पाया गया है। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की उक्त विश्लेषण जांच रिपोर्ट की प्रति अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा प्रतिवादी विक्रेता रुप सिंह पुत्र श्री विशन सिंह को प्रेषित की गई। जिस पर प्रतिवादी ने खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड अमूल) के नमूना संख्या S-2611 के द्वितीय भाग की जांच निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला से करवाये जाने हेतु अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को अपील आवेदन प्रस्तुत करने पर खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड अमूल) के नमूना संख्या S-2611 के द्वितीय भाग को विश्लेषण जांच हेतु निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसुरु को भिजवाया गया। प्रकरण में निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसुरु द्वारा अभिहित अधिकारी को प्रेषित विश्लेषण जांच प्रमाण पत्र संख्या:822F/FSSA/2025 दिनांक 07-8-2025 में खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड अमूल) का नमूना संख्या S-2611, अमानक (sub-standard) पाया गया। इस प्रकार, पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी रुप सिंह पुत्र श्री विशन सिंह, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, मैसर्स मां अम्बे ट्रेडर्स, मेन मार्केट, सुमेरपुर, जिला- पाली, हाल-RJ 57 GA 0345 (पिकअप), पुलिस थाना, शिवगंज, जिला- सिरोही ने अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड अमूल) (नमूना संख्या S-2611) का विक्रय व खाद्य अनुज्ञा पत्र/पंजीकरण पत्र के बिना खाद्य व्यापार करके उक्त अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा 51 व 58 के तहत शास्ति (Penalty) योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 व 58 के तहत अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड अमूल) (नमूना संख्या S-2611) के विक्रय करने हेतु व खाद्य अनुज्ञा पत्र/पंजीकरण के बिना खाद्य व्यापार करने हेतु प्रतिवादी रुप सिंह पुत्र श्री विशन सिंह, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, मैसर्स मां अम्बे ट्रेडर्स, मेन मार्केट, सुमेरपुर, जिला- पाली, स्थाई पता: ग्राम पोस्ट- जाखोडा, कोलीवाडा, जिला- पाली पर राशि रुपये 25,000/- (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत तथा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा उक्त अधिरोपित शास्ति की राशि का डी.डी. इस न्यायालय में जमा करवाये जाने के पश्चात्, न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित घी (ब्राण्ड अमूल) जो पुलिस थाना, शिवगंज द्वारा जब्त कर पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है उसका नियमानुसार निस्तारण करवाये। साथ ही, प्रतिवादी रुप सिंह पुत्र श्री विशन सिंह, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, मैसर्स मां अम्बे ट्रेडर्स, मेन मार्केट, सुमेरपुर, जिला- पाली को आदेशित किया जाता है कि उक्त शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर इस न्यायालय/कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये।

निर्णय आज दिनांक 16-12-2025 को सर-ए-ईजलास सुनाया गया।



(डॉ. राजेश गोयल)

प्रति. जिला अधिकारी

सिरोही-307001.